उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या / ए0वी /901 दिनांक

प्राप्ति संख्या 2114
दिनांक 10/9/13

कार्यालय आदेश

मा0 परिषद की 225 वीं बैठक दिनांक 14.08.2013 के मद संख्या–225/7 पर परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के उपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

क0सं0	परियोजना आई.डी.नं.	योजना/परियोजना का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1–	033112	वृन्दावन योजना सं.–3, लखनऊ के सेक्टर–12 में स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना–2013 के अन्तर्गत प्रस्तावित अरावली इन्क्लेव में विभिन्न श्रेणी के निम्नलिखित फ्लैट्स (बी.+एस.+10मंजिले) का निर्माण कार्य। 1– 3 बी0एच0के0+सर्वेन्ट – 200 नग 2– 3 बी0एच0के0 (बी–1 टाइप) – 120 नग 3– 3 बी0एच0के0 (बी–2 टाइप) – 120 नग 4– 2 बी0एच0के0 (सी–1 टाइप) – 60 नग 5– 2 बी0एच0के0 (सी–2 टाइप) – 60 नग कुल 560 नग	21506.00	25/109

1– उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
2– कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
3– प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, सम्पत्ति आवंटन एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
4– निविदाओं का आमंत्रण पंजीकरण के आधार पर किया जाय।
5– फ्लैटों का निर्माण एयर ट्रेफिक कन्ट्रोल, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जाय।
6– प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य पूर्ण करने का यथा सम्भव प्रयास किये जाय।
7– निर्धारित समयावधि के अन्दर ही भवनों को पूर्ण कराते हुए आवंटियों को भवन हस्तगत करना सुनिश्चित किया जाय।
8– गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा थर्ड पार्टी से कराये जाने वाली जॉच (चेकिंग) की रिपोर्ट समय–समय पर उच्च अधिकारियों एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय।
9– उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 2 वर्ष 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
10– कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समय सारणी (बार चार्ट) बनायी जाय।
11– कार्यों की प्रगति की समयबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु परिषद के उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण कराते हुए समीक्षा की जाय।
12– विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
13– निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।

(डी0के0त्यागी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

2-Altc-1

Scanned by CamScanner

पृ0सं0: 3375 /उक्त /901 दिनांकः 5-9-2013

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/वृन्दावन वृत्त उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता,(मु0)/परियोजना प्रवन्धक निर्माण इकाई–03/उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।
7. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

Scanned by CamScanner